

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करौली-322241, फोन नं. 07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/2788

दिनांक:-10/05/2023

निमित्त,

अधिशाली अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड सपोटरा

विषय:-Diversion of 0.5265 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/000

प्रसंग:-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 5756 दिनांक 24.04.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक 5756 दिनांक 24.04.2023 से उक्त विषयांकित प्रकरण का अवलोकन उपरान्त बिन्दुवार आक्षेप लगाए गए हैं, जो आपको संलग्न प्रेषित है।

अतः आप आपके कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं में लगाए गए आक्षेपों की पालना कर इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-प्रासंगिक पत्र की प्रति।

(सुरेश मिश्रा)
उप/वन संरक्षक
करौली

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2019/करौली रोड्स/एफसीए/प्रमुख/ 5756

दिनांक 24-04-2020

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 0.5265 ha. construction of Road from Kota to Pator Kan D/O to 3/0", District - Karauli (Rajasthan)"
(Proposal No.- FP/RJ/ROAD/35272/2018)

संदर्भ:- एफ () एफसीए/मुवसंभ/2021-22/1546 दिनांक 30.3.2020

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपर्युक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर सुझाव / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. Working plan prescription are not attached at point no 5 of part II by DCF Karauli
2. KML file, DGPS map and GT Sheet map for CA land has not submitted at point no 13 of Part II.
3. As per DCF recommendation 67 trees are to be cut, therefore scheme for planting of 370 trees are to be submitted.
4. Copy of notification of forest land for proposed diversion has not submitted.
5. Undertaking of User Agency for mitigative measures as recommended by DCF Bharatpur.
6. Shri Rajveer singh is the authorized person but details of shivkeshi Meena are filled in part II.
7. As the name suggested in project report that the proposed road link to village Kota to Pator but this is approach road connecting village pator and Khawarpur. Justified it.
8. CCF mentioned in his site inspection that the proposed forest area falling in Kota A Protected forest Block but in DGPS map the area falls under Kankriya protected forest block.
9. Jamabandi for pator village has not enclosed.

उक्त बिन्दुओं की पालना आपके स्तर, उप वन संरक्षक एवं यूजर एजेंसी से किया जाना प्रस्तावित है।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नयदीप
(विनिर्देश सुनाय मुक्ता)
उप वन संरक्षक (एम सी ए)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2019/करौली रोड्स/एफसीए/प्रमुख/ 5758-59

दिनांक 24-04-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, करौली।
2. PUBLIC DEPARTMENT WORK KARAU, PWD DIVISION-KARAU, DISTRICT KARAU, RAJASTHAN- 302004

उप वन संरक्षक (एम सी ए)
अरण्य भवन, जयपुर